रजिस्टर्ड न० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 22 अक्तूबर, 1988/30 आश्विन, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला-2, 5 अक्तूबर, 1988

संख्या 6-31/76-पर्यटन (सचि०).—इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 20-7-88 के पैरा-4 के नीचे विस्तृत विवरण के अन्तिम खाना क्षेत्र के नीचे दर्शाए गए "9-03-0" के स्थान पर "कुल क्षेत्र 8-19-0 बीघा" पढ़ा जाए ।

आदेश द्वारा,
ए० एन० विद्यार्थी,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

2428-राजपत्र/88-22-10-88—1,239. (2505) मूल्य : 20 पैसे ।

कार्यालय जिलाधीश बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

बिलासपुर, 30 सितम्बर, 1988

सं0 बी0 एल0 पी0-पंच-6-13/78.-1771-1781.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पचायत नियम, 1971 के नियम 19(ए) (1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कलोल, विकास खण्ड झण्डुता, जिला बिलासपुर ने मृत्यु के कारण रिक्त हुए महिला पंच के स्थान पर श्रीमती सुखां देवी बेवा श्री जीवण सिह, ग्राम ढोलक-बकनाड, डा0 कलोल, उप-तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को अपने प्रस्ताव स0 1, दिनांक 10-8-88 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सहविकल्पित कर लिया है।

अतः मैं, सरोजकुमार दास, जिलाधीश, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, उन अधिकारों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9(1) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19(ए) (II) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्रीमती सुखां देवी बेवा श्री जीवण सिह, ग्राम ढोलक-बकनाड, डाक0 कलोल, उप-तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का नाम ग्राम पंचायत कलोल के महिला पंच के रूप में अधिसूचित करता हूं।

एस0 के0 दास,
जिलाधीश।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 30 सितम्बर, 1988

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 18/87.—क्योंकि श्री दलीप सिह निराला प्रधान (निलम्बित) ग्राम पंचायत तन्यार विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी के विरुद्ध पंचायत निधि के विभिन्न अनुदानों के दुरुनियोजन में संलिप्त होने का आरोप है जो इस प्रकार है :—

1. कैशबुक में 6-6-87 को हुआ इन्दराज के अनुसार पंचायत का नकद शेष 52,055.00 रुपये अनियमित रूप से अपने पास रखकर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य वित्त, बजट, लेखा, अंकेक्षण, कराधान, सेवाएं तथा भत्ते नियम, 1975 के नियम 8 की उल्लंघना।

2. दिनांक 14-12-86 को रु0 10,000, 5-7-86 को रु0 15,000 हजार तथा 5-11-86 को रु0 15,000 हजार रुपये पंचायत के बचत खाते से जो हियून गर्ल स्कूल भवन के निर्माण हेतु खोला गया है, निकाले परन्तु इन राशियों का पंचायत को कोई हिसाब न देना।

3. 100 बैग सिमेन्ट स्कूल भवन निर्माण हेतु खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर से प्राप्त करना परन्तु उक्त सिमेन्ट का कोई हिसाब पंचायत को न देना।

4. खाती सथोटी-1 के लिए 29-3-86 को मु0 2,000/- रुपये 8-9-86 को 3,000/- रुपये तथा 22-9-86 को 320/- रुपये पंचायत के बचत खाते से प्राप्त करना परन्तु पंचायत को अभी तक कोई हिसाब न देना।

5. 5 क्विंटल अनाज खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त करना परन्तु उसका कोई हिसाब किताब न रखना।

6. खाता सथोटी-2 के निर्माण हेतु 2,000 रुपये 31-3-86 तथा 13-5-86 को 2,000 रुपये 20-3-86 तथा 9-4-86 को तथा 725/- रुपये 22-9-81 तथा 22-10-86 को अनुदान प्राप्त करना परन्तु इन राशियों का कोई हिसाब न रखना तथा 10 क्विंटल अनाज प्राप्त करना परन्तु कोई हिसाब न रखना।

7. बल्ह खाती निर्माण हेतु 1,500/- रुपये खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त करना परन्तु कोई हिसाब न रखना और क्योंकि उपरोक्त आरोपों की जांच का करवाया जाना अनिवार्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत उपरोक्त आरोपों की जांच के लिए उपमण्डलाधिकारी (एस0डी0एम0) सरकाघाट को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते है जो अपनी जांच रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

शिमला-2, 3 अक्तूबर, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)55/87.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने यह सूचित किया है कि श्रीमती अतरू देवी सहविकल्पित महिला पंच दिनांक 2-2-87 से पंचायत बैठकों में उपस्थित नहीं हो रही है।

क्योंकि उपरोक्त सहविकल्पित महिला पंच को ग्राम पंचायत खाद्दर द्वारा 15-2-88 को उनके उपस्थित न होने के कारण स्पष्ट करने तथा अग्रिम बैठकों में उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके भी यह पदाधिकारी पंचायत बैठकों में उपस्थित नहीं हुई।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के के अन्तर्गत श्रीमती अतरू देवी, सहविकल्पित महिला पंच को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए उनके पद से निलम्बित किया जाये। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-भीतर जिलाधीश शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिये अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

शिमला-2, 3 अक्तूबर, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)55/87.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने यह सूचित किया कि श्री मंगत राम, पंच, दिनांक 2-2-87 से पंचायत बैठकों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

क्योंकि उपरोक्त पंच को ग्राम पंचायत खाद्दर द्वारा 15-2-88 को उनके उपस्थित न होने के कारण स्पष्ट करने तथा अग्रिम बैठकों में उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके भी यह पदाधिकारी पंचायत बैठकों में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री मंगत राम पंच को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए उनके पद से निलम्बित किया जाए । उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-भीतर जिलाधीश शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

शिमला-2, 3 अक्तूबर, 1988

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 55/87.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने यह सूचित किया है कि श्री अमर सिंह, पंच, दिनांक 2-2-87 से पंचायत बैठकों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

क्योंकि उपरोक्त पंच को ग्राम पंचायत खादर द्वारा 15-2-88 को उनके उपस्थित न होने के कारण स्पष्ट करने तथा अग्रिम बैठकों में उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया था । बावजूद इसके भी यह पदाधिकारी पंचायत बैठकों में उपस्थित नहीं हुए हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री अमर सिंह, पंच को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए उनके पद से निलम्बित किया जाये । उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-भीतर जिलाधीश, शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

शिमला-2, 3 अक्तूबर, 1988

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 55/87.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने यह सूचित किया है कि श्री छज्जू राम, पंच, दिनांक 2-2-87 से पंचायत बैठकों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं ।

क्योंकि उपरोक्त पंच को ग्राम पंचायत खादर द्वारा 15-2-88 को उनके उपस्थित न होने के कारण स्पष्ट करने तथा अग्रिम बैठकों में उपस्थित न होने हेतु नोटिस दिया गया था । बावजूद इसके भी यह पदाधिकारी पंचायत बैठकों में उपस्थित नहीं हुए हैं ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री छज्जू राम, पंच को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए उनके पद से निलम्बित किया जाये । उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 1 माह के भीतर-भीतर जिलाधीश, शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

शिमला-2, 3 अक्तूबर, 1988

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 55/87.—क्योंकि खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने यह सूचित किया है कि श्री दौलत राम, उप-प्रधान, दिनांक 2-2-87 से पंचायत बैठकों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

क्योंकि उपरोक्त उप-प्रधान को ग्राम पंचायत खादर द्वारा 15-2-88 को उनके उपस्थित न होने के कारण स्पष्ट करने तथा अग्रिम बैठकों में उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया था । बावजूद इसके भी यह पदाधिकारी पंचायत बैठकों में उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री दौलत राम, उप-प्रधान को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए उनके पद से निलम्बित किया जाये। आप सभी का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर-भीतर जिलाधीश, शिमला के माध्यम से पहुंच जाना चाहिये अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

शिमला-2, 5 अक्तूबर, 1988

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)/—.—क्योंकि श्री हेत राम, पंच, ग्राम पंचायत सौडी, विकास खण्ड नालागढ़, दिनांक 24-2-88 से लगातार पचायत की बैठकों में भाग न लेने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के नियम 54 के अन्तर्गत अपने कर्तव्य के प्रति दुराचार का कृत्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत उक्त पंच को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाए। उनका उत्तर इस नोटिस के जारी होने के एक माह के अन्दर जिलाधीश, सोलन के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

हस्ताक्षरित-/
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।